दिनांक–11 दिसम्बर, 2012 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में लिये गये निर्णय :–

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

1. अस्थायी 14 अनु० जाति आवासीय उच्च विद्यालयों के सम्पूर्ण योजना एवं पदों को योजना से गैर योजना में स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव। — 1. **स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

2. बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा लेखों का वार्षिक विवरण तैयार करने एवं अन्य संबंधित अभिलेखों का संधारण करने संबंधी नियमावली की स्वीकृति के संबंध में। — 2. **स्वीकृत।**

ग्रामीण विकास विभाग

3. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, बिहार के सफल क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत जिलों के श्रम बजट के विरूद्ध प्राप्त सहायक अनुदान की राशि एकमुश्त अग्रिम के रूप में विमुक्त करने के संबंध में। — 3. **स्वीकृत।**

पर्यटन विभाग

4. पर्यटन विभाग, बिहार द्वारा पर्यटकीय क्षेत्रों के विकास हेतु अपने लोक उपक्रम बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना को वार्षिक योजना, 2012–13 के संसूचित राज्य योजना उद्व्यय से द्वितीय चरण में ₹800.00 लाख रूपये (आठ करोड़ रूपये) अनुदान स्वरूप उपलब्ध कराने की स्वीकृति। — 4. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

5. कटिहार जिला एवं अंचल के अन्तर्गत वार्ड नं०–01 खाता सं०–1112 खेसरा सं०–1064 का रकवा–1.05 एयर एवं खेसरा सं०–1063 का रकवा–2.95 एयर, कुल रकवा– 4. 00 एयर (दस डिसमिल) अनावाद सर्वसाधारण शहरी भूमि का सहायक थाना, मिरचाईबाड़ी, कटिहार के भवन निर्माण हेतु गृह विभाग को निःशुल्क, अन्तर्विभागीय, स्थायी हस्तान्तरण। — 5. **स्वीकृत।**

	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय)		
6.	बिहार अभिलेखीय संवर्ग नियमावली, 2012 के अनुमोदन के संबंध में।	**6.**	**स्वीकृत।**
	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग		
7.	बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक, 2012 की स्वीकृति के संबंध में।	**7.**	**स्वीकृत।**
	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग		
8.	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अन्तर्गत सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या–11216/2009 में पारित न्यायादेश के आलोक में श्री महेन्द्र लाल दास, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक) को मुख्य अभियंता (यांत्रिक) के पद पर भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति देने के संबंध में।	**8.**	**स्वीकृत।**
	विधि विभाग		
9.	बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के लिए उच्च न्यायालय के कार्यरत माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती टी० मीना कुमारी को कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत करने के संबंध में।	**9.**	**स्वीकृत।**
	शिक्षा विभाग		
10.	माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा सी०डब्ल्यू०जे० सी० संख्या–78/2006 में दिनांक–21.04.2010 को पारित आदेश उदभूद अवमाननावाद संख्या–207/11 में दिनांक–11.10.2012 को पारित आदेश के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2012–13 में गैरयोजनान्तर्गत तिलकामाँझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालय बी०एन० कॉलेज भागलपुर के स्वीकृत पदों पर कार्यरत कर्मियों को बकाए वेतनादि भुगतान हेतु ₹5,00,00,000/– (पाँच करोड़ रू०) मात्र की स्वीकृति एवं विमुक्ति।	**10.**	**स्वीकृत।**
	स्वास्थ्य विभाग		
11.	राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में कान, नाक एवं गला रोग विभाग में सहायक–प्राध्यापक के पद पर कार्यरत चिकित्सक शिक्षक को सह–प्राध्यापक के पद पर नियमित प्रोन्नति देने हेतु प्रस्ताव।	**11.**	**स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

12.	बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को अपर समाहर्त्ता/संयुक्त सचिव/अपर सचिव एवं समकक्ष पद के वेतनमान में नियमित प्रोन्नति देने हेतु अधिसंख्य (Supernumerary) पदों का सृजन एवं भूतलक्षी तिथि से प्रोन्नति देने का प्रस्ताव।	12.	स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

13.	बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2012 का अनुमोदन।	13.	स्वीकृत।

उद्योग विभाग

14.	वित्तीय वर्ष 2012—13 में उद्यमिता विकास संस्थान, पटना द्वारा विभिन्न तरह के रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम योजनान्तर्गत ₹ 100.08 लाख (एक करोड़ आठ हजार) सहायक अनुदान की स्वीकृति का प्रस्ताव।	14.	स्वीकृत।

कृषि विभाग

15.	वित्तीय वर्ष 2012—13 में राज्य किसान आयोग को सहायक अनुदान मद में 54.49 लाख रू० (चौवन लाख उनचास हजार रू०) की स्वीकृति।	15.	स्वीकृत।

गृह (कारा) विभाग

16.	"बिहार कारा हस्तक—2012" ("Bihar Prison Manual, 2012") को स्वीकृत करते हुए बिहार राज्य में लागू करने के संबंध में।	16.	स्वीकृत।

गृह विभाग

17.	राज्य के काराओं में सहायक कारापाल के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया से संबंधित "बिहार सहायक कारापाल संवर्ग नियमावली, 2010" के निरसन एवं इस हेतु गठित "बिहार सहायक कारापाल संवर्ग नियमावली, 2012" की स्वीकृति के संबंध में।	17.	स्वीकृत।

गृह विभाग
(आरक्षी)

18. राज्य के सभी 881 थानों में मिस्ट टेक्नोलॉजी का एक–एक अग्निशामक वाहन उपलब्ध कराने हेतु डी०जी०एस०एण्ड डी० दर पर 207 DI EX 881 अदद चेसिस का क्रय लागत राशि ₹ 4405.00 लाख (चौवालीस करोड़ पाँच लाख रू०) तथा फैब्रिकेशन का लागत राशि ₹ 4405.00 लाख (चौवालीस करोड़ पाँच लाख रू०) यानी कुल ₹ 8810.00 लाख (अठासी करोड़ दस लाख रू०) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं तत्काल बजट में प्रावधानित राशि ₹ 850.00 लाख (आठ करोड़ पचास लाख रू०) की विमुक्ति एवं प्रथम चरण की शेष राशि ₹ 1360.00 लाख (तेरह करोड़ साठ लाख रू०) का अतिरिक्त उद्व्यय एवं बजट उपबंध कराकर व्यय करने तथा प्रशासनिक स्वीकृति की अवशेष राशि अनुवर्ती वर्षों में व्यय करने की स्वीकृति के संबंध में। — 18. स्वीकृत।

पर्यावरण एवं वन विभाग

20. पर्यावरण एवं वन विभाग के अन्तर्गत कुल 11 कार्यालयों में से 05 (पाँच) कार्यालयों को प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अधीनस्थ समेकित रूप से एक कार्यालय के रूप में गठित करने एवं इस कार्यालय तथा अन्य 06 (छः) कार्यालयों कुल 07 (सात) कार्यालयों में विभिन्न कोटि के 108 पदों के सृजन का प्रस्ताव। — 20. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

21. नाबार्ड ऋण योजना (RIDF-XVIII) के अन्तर्गत मुजफ्फरपुर पथ प्रमंडल संख्या–1 के अधीन काँटी–मड़वन पथ के कि०मी० 0 से 13 (अंश) तक (कुल 12.55 कि०मी० पथांश लंबाई) में क्रॉस ड्रेन एवं विविध कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण संबंधित कार्य कुल 29.19984 करोड़ (उनतीस करोड़ उन्नीस लाख अनठानवे हजार चार सौ) रूपये के अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 21. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

22. नाबार्ड ऋण योजना (RIDF-XVIII) के अन्तर्गत मुजफ्फरपुर पथ प्रमंडल संख्या–1 के अधीन मैठी (एन०एच०–57)–बखरी–पिल्खी पथ के कुल 9.00 कि०मी० पथांश लंबाई में क्रॉस ड्रेन, साईड ड्रेन, भू–अर्जन एवं रोड साईनेज कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण संबंधित कार्य कुल 22.4534 करोड़ (बाईस करोड़ पैंतालीस लाख चौंतीस हजार) रूपये के अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 22. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

23. नाबार्ड ऋण योजना (RIDF-XVIII) के अन्तर्गत समस्तीपुर पथ प्रमंडल के अधीन बाजीदपुर– दलसिंहसराय–नरहन –रोसड़ा पथ के कि०मी० 0 से 11 (अंश) एवं 28 (अंश) से 40 तक (कुल 22.62 कि०मी० पथांश लंबाई) में क्रॉस ड्रेन, ड्रेन, पोल शिफ्टिंग कार्य एवं पथ फर्निचर कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 37.22 करोड़ (सैंतीस करोड़ बाईस लाख) रूपये के अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 23. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

24. नाबार्ड ऋण योजना (RIDF-XVIII) के अन्तर्गत मुजफ्फरपुर पथ प्रमंडल सं०–1 के अधीन तुर्की चौक (NH-77) से पक्की सराय चौक भाया मघौल, केरमा–सुस्ता कच्ची पक्की (NH-28) पथ के कि०मी० 0 से 21.35 तक (कुल 21.35 कि०मी० पथांश लंबाई) में आर०सी०सी० ड्रेन, क्रॉस ड्रेन, पथ फर्निचर, भू–अर्जन एवं उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल निर्माण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 55.98942 करोड़ (पचपन करोड़ अनठानवे लाख चौरानवे हजार दो सौ) रूपये के अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 24. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

25. नाबार्ड ऋण योजना (RIDF-XVIII) के अन्तर्गत मुजफ्फरपुर पथ प्रमंडल संख्या–1 के अधीन काँटी (एन०एच०–28)–रघईघाट पथ के कुल 8.60 कि०मी० पथांश लंबाई में क्रॉस ड्रेन, भू–अर्जन, साईड ड्रेन एवं विविध कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण संबंधित कार्य कुल 21. 41585 करोड़ (इक्कीस करोड़ इकतालीस लाख अनठावन हजार पाँच सौ) रूपये के अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 25. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

26. नाबार्ड ऋण योजना (RIDF-XVIII) के अन्तर्गत मुजफ्फरपुर पथ प्रमंडल सं०–1 के अधीन माड़ीपुर पावर हाउस से सकरी चौक (एन०एच० 77) तक (कुल 9.05 कि०मी० पथांश लंबाई) में आर०सी०सी० ड्रेन, क्रॉस ड्रेन, पथ फर्निचर, भू–अर्जन एवं दो अदद उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल निर्माण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 27.2584 करोड़ (सताईस करोड़ पच्चीस लाख चौरासी हजार) रूपये के अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 26. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

27.	नाबार्ड ऋण योजना (RIDF-XVIII) के अन्तर्गत मुजफ्फरपुर पथ प्रमंडल संख्या–1 के अधीन दिघरा चौक (NH-28) के बटलर चौक पथ के कि०मी० 0 से 8.20 तक (कुल 8.20 कि०मी० पथांश लंबाई) में आर०सी०सी० ड्रेन, क्रॉस ड्रेन, पथ फर्निचर एवं उच्च स्तरीय आर०सी०सी० पुल निर्माण कार्य सहित पथ का उन्नयन कार्य कुल 31.01765 करोड़ (इकत्तीस करोड़ एक लाख छिहत्तर हजार पाँच सौ) रूपये के अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	27.	स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

28.	मुजफ्फरपुर पथ प्रमंडल सं०–1 अन्तर्गत साहेबगंज बाईपास (कुल 1.80 कि०मी० लंबाई) का भू–अर्जन कार्य, क्रॉस ड्रेन कार्य एवं पथ फर्निचर कार्य सहित निर्माण कार्य कुल 25. 26175 करोड़ (पच्चीस करोड़ छब्बीस लाख सतरह हजार पाँच सौ) रूपये के अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	28.	स्वीकृत।

योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

29.	"बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1999 के नियम 5 के उप नियम (1) में संशोधन के संबंध में।	29.	स्वीकृत।

योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

30.	"बिहार सांख्यिकी तंत्र विकास अभिकरण (बी०एस०एस०डी०ए०)" (Bihar Statistical System Development Agency (BSSDA) सोसाईटी के गठन की स्वीकृति के संबंध में।	30.	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

31.	जहानाबाद जिलान्तर्गत विद्युत उपकेन्द्र 33/11 के०भी० के निर्माण हेतु अंचल–मखदुमपुर मौजा– सागरपुर थाना नं०–224 खाता सं०–498 खेसरा नं०– 01 रकबा– 1. 00 एकड़ गैर मजरूआ मालिक परती कदीम भूमि का बाजार मूल्य 4300/– रूपये प्रति डिसमिल की दर से कुल रूपये 9,67,500/–(नौ लाख सरसठ हजार पाँच सौ) (सलामी एवं पूँजीकृत मूल्य सहित) के भुगतान पर बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।	31.	स्वीकृत।

वित्त विभाग

32.	फोटो कॉपियर–सह–प्रिंटर ऑपरेटर के पद को मरणशील घोषित करने के संबंध में।	32.	स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

33.	राज्य के 163 उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु ₹ 1,88,26.50 लाख (एक अरब अट्ठासी करोड़ छब्बीस लाख पचास हजार) रूपये एवं 383 उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अर्द्धनिर्मित भवन को पूर्ण करने हेतु ₹42,99.685 लाख (बयालीस करोड़ निनानवे लाख अड़सठ हजार पाँच सौ) अर्थात् कुल ₹2,31,26.185 लाख (दो अरब इक्तीस करोड़ छब्बीस लाख अट्ठारह हजार पाँच सौ) रूपये की स्वीकृति एवं वर्त्तमान वित्तीय 2012–13 में ₹1,37,12.935 लाख (एक अरब सैतीस करोड़ बारह लाख तिरानवे हजार पाँच सौ) रूपये के व्यय की स्वीकृति एवं विमुक्ति के संबंध में।	33.	स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

34.	वित्तीय वर्ष 2012–13 में आई०सी०डी०एस० योजना के तहत स्थापना के संधारणार्थ केन्द्रीय प्रायोजित योजना मद से केन्द्रांश (90 प्रतिशत) के रूप में कुल रू० 657,75,47,000/–(रू० छः सौ सनतावन करोड़ पचहत्तर लाख सैंतालीस हजार) मात्र एवं राज्य योजना मद से राज्यांश (10 प्रतिशत) के रूप में कुल रू० 73,08,38,000/–(रू० तिहत्तर करोड़ आठ लाख अड़तीस हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति।	34.	स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

35.	"बिहार समूह 'घ' (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2010" में संशोधन की स्वीकृति।	35.	स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

36.	वर्ष 2013–के लिए बिहार सरकार के कार्यालयों में अवकाश और निगोसियेबुल इन्स्टूमेंट्स ऐक्ट के अन्तर्गत बिहार राज्य में अवकाश की घोषणा।	36.	स्वीकृत।